

भारत की नो-फ्लाई लसिट

प्रीलमिन्स के लिये:

नो-फ्लाई लसिट

मेन्स के लिये:

नो-फ्लाई लसिट में प्रतर्बिधति व्यवहार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को इंडिगो एयरलाइंस द्वारा नो-फ्लाई लसिट में कर तीन माह के लिये हवाई यात्रा से प्रतर्बिधति कर दिया गया है।

हालिया संदर्भ

- कुमार कामरा पर यह प्रतर्बिधति इंडिगो (IndiGo) एयरलाइंस में उड़ान के दौरान समाचार चैनल **रपिब्लिक टीवी** के संपादक तथा ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के गवर्नरिंग बोर्ड के अध्यक्ष, अरुण गोस्वामी का मजाक बनाने के कारण लगाया गया है।
- इंडिगो एयरलाइंस के साथ-साथ स्पाइसजेट (SpiceJet), एयर इंडिया (Air India) और गो एयर (GoAir) द्वारा भी उन पर प्रतर्बिधति लगाया गया है।

नो-फ्लाई लसिट क्या है?

- भारतीय संदर्भ में नो-फ्लाई लसिट उन यात्रियों के मामले में जारी की जाती है जो हवाई यात्रा के दौरान अपने शारीरिक, मौखिक या फरि किसी भी आपत्तजनक व्यवहार के माध्यम से यात्रा में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- इस लसिट का संकलन और रखरखाव नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation- DGCA) द्वारा एयरलाइंस द्वारा दिये गए विवरण के आधार पर किया जाता है।

नो-फ्लाई लसिट (No-Fly List) के अंतर्गत प्रतर्बिधति व्यवहार:

किसी भी व्यक्तिके अनयित्तरति व्यवहार को इस लसिट के अनुसार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- पहली श्रेणी में **मौखिक व्यवहार** को शामिल किया जाता है अर्थात् यदि कोई व्यक्ति हवाई यात्रा के दौरान आपत्तजनक टपिपणी या शब्दों का प्रयोग करता है तो उसे तीन माह के लिये हवाई यात्रा से प्रतर्बिधति किया जा सकता है।
- दूसरी श्रेणी में **शारीरिक व्यवहार** को शामिल किया जाता है यानी किसी के साथ मारपीट करना, धक्का देना या फरि गलत इरादे से किसी को छुना इत्यादि। इस व्यवहार के लिये यात्री को छह महीने तक हवाई यात्रा से वंचति किया जा सकता है।
- तीसरी श्रेणी में किसी को **जान से मरने की धमकी** देने को शामिल किया गया है और इस व्यवहार के लिये कम-से-कम दो साल का प्रतर्बिधति आरोपति किया जा सकता है।

नो-फ्लाई लसिट के नयिम:

वर्ष 2017 में सरकार ने हवाई यात्रा के दौरान वघितनकारी या अमान्य व्यवहार को रोकने के लिये नो-फ्लाई सूची हेतु दशा-नरिदेश जारी किये। इन दशा-नरिदेशों के अनुसार,

- हवाई यात्रा के दौरान अनयित्तरति व्यवहार की शिकायत पायलट-इन-कमांड द्वारा दर्ज की जाएगी तथा इसकी जाँच एयरलाइन द्वारा गठति आंतरकि समतिद्वारा की जाएगी।

- समति 30 दनि के भीतर मामले का नपिटारा करेगी और प्रतबिंध की अवध भी नरिधारति करेगी ।
- नयिमों के अनुसार, जाँच अवध के दौरान भी एयरलाइन को संबंधति यात्री की हवाई यात्रा पर प्रतबिंध लगाने का अधकार है ।
- एयरलाइन द्वारा प्रतबिंधति व्यक्त अपीलीय समति के आदेश जारी करने की तथि से 60 दनि के भीतर अपना पक्ष रख सकता है ।

आंतरकि समति की संरचना:

- आंतरकि समति में अधयक्ष के रूप एक सेवानवृत्त ज़िला और सत्र न्यायाधीश को शामिल किया जाता है ।
- इसके अलावा एक प्रतनिधि को अन्य अनुसूचति एयरलाइन से शामिल किया जाता है ।
- एक सदस्य यात्री संघ या उपभोक्ता संघ के प्रतनिधि के रूप में होता है ।
- आंतरकि समति 30 दनि में अपना नरिणय, लिखति रूप में प्रस्तुत करती है और संबंधति एयरलाइन के लयि यह नरिणय बाध्यकारी होता है ।
- यद समति 30 दनि के भीतर किसी नरिणय पर नहीं पहुँचती है, तो प्रतबिंधति व्यक्त हवाई यात्रा करने के लयि स्वतंत्र होगा ।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-no-fly-list>

